Power Finance Corporation Ltd.
A Govt. of India Undertaking

"पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तिमाही-3 वित्तीय वर्ष 2015 कांफ्रेंस कॉल"

11 फरवरी, 2015

Power Finance Corporation Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)

Edelweiss
Ideas create, values protect

प्रबंधन : श्री एम.के. गोयल – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मॉडरेटर: श्री कुणाल शाह - असोसिएट निदेशक, एडेलविज सिक्योरिटीज लिमिटेड

मॉडरेटर: देवियो और सज्जनो, नमस्कार। एडेलविज सेक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिमाही-3 वित्तीय वर्ष 2015 की अर्जन कांफ्रेंस कॉल में आप सभी का स्वागत है। अनुस्मारक के तौर पर सभी प्रतिभागियों की लाइनें केवल लिसेन-ओनली मोड में रहेंगी, प्रेजेंटेशन के समापन के पश्चात आप सभी को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। यदि कांफ्रेस कॉल के दौरान आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने टच टोन फोन पर पहले '*' और फिर '0' दबाकर ऑपरेटर को संकेत करें। कृपया नोट करें कि इस कांफ्रेंस की कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं इस कांफ्रेंस के संचालन का दायित्व एडेलविज सिक्योरिटीज लिमिटेड के श्री कुणाल शाह को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद, कृपया आगे की कार्रवाई श्री शाह संचालित करें।

कुणाल शाह: **धन्यवाद ।** मैं एडेलविज सिक्योरिटीज से **कुणाल शाह** हूं। इस प्रकार से हमारे बीच पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से उपस्थित हैं : **श्री एम.के. गोयल** – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री **आर नागराजन – निदेशक** (वित्त) और **श्री ए के अग्रवाल – निदेशक** (परियोजना) जो **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान कंपनी के अर्जन के बारे में चर्चा करेंगे और विद्युत क्षेत्र के विकास के संबंध में आप सभी को अवगत कराएंगे।** कृपया आगे की कार्रवाई संचालित करें।

एम.के. गोयल: सभी को नमस्कार । सबसे पहले मैं आपको **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015** के दौरान हमारे वित्तीय निष्पादन के बारे में जानकारी दूंगा, तत्पश्चात विद्युत क्षेत्र में हो रहे विकास पर चर्चा की जाएगी। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार हमने इस तिमाही में भी बेहतर लाभ मार्जिन के साथ सुदृढ़ परिसंपत्ति वृद्धि दर्शाई है। इस तिमाही के दौरान हमने कोई नई एनपीए नहीं जोड़ी है और हमारा सकल एनपीए अनुपात 1% से नीचे अर्थात ऋण परिसंपत्तियों के 0.96% रहा है। हमारी ऋण परिसंपत्तियों ने 16% की बेहतर वृद्धि दर्शाई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के

दौरान 1,77,500 करोड़ रूपए से बढ़कर लगभग 2,05,000 करोड़ रूपए हो गई है। हमारा मानना है कि . 1,77,500 करोड़ रूपए के बड़े परिसंपत्ति आधार पर हम एक बेहतर परिसंपत्ति वृद्धि बनाए रख पा रहे हैं और इसके बावजूद भी कि इस क्षेत्र में बहुत सी चुनौतियां मौजूद हैं, हम परिसंपत्तियों की वृद्धि में सफल रहे हैं। हम **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के लिए** 3.47% का बेहतर ब्याज विस्तार और 5.03% का एनआईएम बनाए रखने में भी सफल रहे हैं। तदनुसार इस तिमाही के लिए ब्याज से होने वाली हमारी निबल आय में 17% की वृद्धि हुई है और यह **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान** 2168 करोड़ रूपए से बढ़कर 2545 करोड़ रूपए हो गई है। **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान हमने** 8.32% की मामूली दर पर लगभग 15,500 करोड़ रूपए की राशि जुटाई है, जिसमें $250 एमएन ईसीबी शामिल है। हमारी बेहतर परिसंपत्ति वृद्धि और बेहतर मार्जिन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015 के 9वें माह के दौरान हमारे लाभ में 10% की वृद्धि हुई है और यह 4006 करोड़ रूपए से बढ़कर 4399 करोड़ रूपए हो गया है। तथापि किसी असाधारण मदों के बिना तुलनात्मक लाभ भी 14% की वृद्धि के साथ 4470 करोड़ रूपए से बढ़कर 5099 करोड़ रूपए हो गया है। **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान हमारा लाभ पूर्ववर्ती अवधि के स्तर के अनुरूप लगभग** 1542 करोड़ रूपए बना रहा। इस तिमाही के दौरान हमारे लाभ के स्थिर बने रहने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो पुनगर्ठित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और दूसरा विनिमय से होने वाली हानि। तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान हमने 17551 करोड़ रूपए की पुनगर्ठित बही में प्रावधान किया है, जिसकी राशि 146 करोड़ रूपए है। यह मद तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान मौजूद नहीं था। इस तिमाही के दौरान भी हमने पिछली अवधि के दौरान केवल 47 करोड़ रूपए की निबल विनिमय हानि की तुलना में 150 करोड़ रूपए की निबल विनिमय हानि

दर्शाई है। यदि पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और इस विनिमय हानि सहित इन असाधारण मदों को हटा दिया जाए तो तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान हमारा तुलनात्मक लाभ 13% वृद्धि के साथ 1628 करोड़ रूपए से बढ़कर 1848 करोड़ रूपए हो गया है। पिछली दो तिमाहियों के दौरान पुनर्गठन के साथ-साथ कुछ छूटों के बारे में आरबीआई के दिशानिर्देशों के कारण हमारी पुनर्गठित बही में हमने कुछ प्रावधान किए हैं, जिनके बारे में हमने आपको पिछले तिमाही के दौरान स्पष्ट किया था। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी को उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए 31 मार्च 2015 तक पुनर्गठन से संबंधित अपनी स्वयं की शर्तों को लागू करने की अनुमति दी गई थी। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी आंतरिक स्वेच्छाचारी शर्तों के अनुसार 17,551 करोड़ रूपए की पुनर्गठित बही उपलब्ध है, जो आरबीआई की शर्तों की तुलना में अधिक कठोर हैं और हमारी आंतरिक शर्तों में यह कहा गया है कि परियोजना की सीओडी में विलंब अथवा उसे परिवर्तित किए जाने के कारण पुनर्भुगतान की तारीख में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से उसे पुनर्गठित परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, भले ही सीओडी का विलंब आरबीआई की विहित सीमा के भीतर क्यों न हो, जिसके अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार हम पुनर्गठित परिसंपत्तियों की अपेक्षाकृत अधिक रूढ़वादी परिभाषा को अपनाते हैं और इसके लिए प्रावधान करते हैं, तथापि यदि हम केवल आरबीआई की शर्तों का ही कड़ाई से अनुपालन करते हैं तो 2700 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियां वित्तीय रूप से पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में होंगी, अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां, जिनका पुनर्भुगतान शुरू कर दिया गया है और यहां तक कि यदि हम परिसंपत्तियों को आरबीआई की 2+1+1 की सीमा से परे सीओडी परिवर्तन के साथ परिसंपत्तियां जोड़ते हैं, तो कुल पुनर्गठित परिसंपत्तियों की मात्रा 3800 करोड़ रूपए के आसपास होगी। इस प्रकार यह 17,551 करोड़ रूपए की पुनर्गठित बही केवल इसलिए है, क्योंकि हमने स्वयं ढांचागत दिशानिर्देश लागू किए हैं और

इसके लिए हमने प्रावधान किया है।.

परिसंपत्ति गुणवत्ता की दिशा में हमने **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान कोई भी नई एनपीए नहीं जोड़ी है। हमारी सकल एनपीए** 1979 करोड़ रूपए बनी हुई है, जो ऋण परिसंपत्ति के 0.96% के समतुल्य है और निबल एनपीए 1544 करोड़ रूपए बनी हुई है, जो ऋण परिसंपत्तियों के 0.75% है। जहां तक व्यापार निष्पादन का संबंध है, हमने **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान लगभग** 27,800 करोड़ रूपए मूल्य के ऋण स्वीकृत किए हैं। हमने वित्तीय वर्ष 2015 के 9वें माह के दौरान 55,000 करोड़ रूपए के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में समेकित रूप से 60,261 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसका आशय यह है कि हमने लगभग 110% से भी अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान स्वीकृतियों में 13% की वृद्धि हुई है और ये 24,629 करोड़ रूपए की तुलना में बढ़कर 27,813 करोड़ रूपए हो गई है। वित्तीय वर्ष 2015 के 9वें माह के दौरान स्वीकृतियों में 16% की वृद्धि हुई है और ये 52,054 करोड़ रूपए से बढ़कर 60,261 करोड़ रूपए हो गई हैं।

जहां तक **तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान संवितरण का संबंध है, तो हमने** 10,197 करोड़ रूपए का संवितरण किया है। वित्तीय वर्ष 2015 के 9वें माह के दौरान 44,000 करोड़ रूपए के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हमने 26,840 करोड़ रूपए का संवितरण किया है, जिसका आशय यह है कि तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 तक हमने लगभग 61% लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2014 के संगत 9वें माह में हमने 30,227 करोड़ रूपए का संवितरण किया था, जो उस वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 64% था। हम इस स्थिति में हैं और आशा है

कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 1.7 लाख करोड़ रूपए की ऋण स्वीकृतियां बकाया हैं, जो वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान संवितरण की तुलना में 3.6 गुणा अधिक हैं। इस प्रकार यह दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में हमारी व्यापारिक पाईपलाईन सुदृढ़ बनी रहेगी।

नई पहलों जैसे आईपीडीएस, सभी के लिए 24X7 विद्युत की उपलब्धता, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर और यूएमपीपी जैसी पहलों को तेजी से लागू किए जाने के फलस्वरूप हमें और अधिक व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा सरकार की अन्य कई पहलें भी लागू की जा रही हैं, जिनके चलते हमारे व्यापार की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसकी व्याख्या मैं थोड़ी देर में करूंगा।

जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है, हमने तिमाही 3 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान 8.32% की मामूली लागत पर 15,417 करोड़ रूपए की धनराशि जुटाई है। वित्तीय वर्ष 2015 के 9वें माह के दौरान 36,608 करोड़ रूपए की राशि के लिए यह लागत 8.98% थी। तिमाही 3 2015 के दौरान लिए गए ऋणों में सिंडिकेटेड ऋण के रूप में $250 एमएन का ईसीबी ऋण शामिल है, जिसमें विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिभागिता की गई है। हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक की क्रमश: 15% और 10% की टीयर-1 पूंजी आवश्यकता की तुलना में 17.57% टीयर-1 पूंजी के साथ 21.05% है, जो कि एक बेहतर स्थिति को इंगित करता है। अब हमें विद्युत क्षेत्र में हुए प्रमुख विकास के बारे में चर्चा करना चाहिए। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पिछली कांफ्रेंस कॉल अक्टूबर 2014 में हुई थी, जिसके पश्चात इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख विकास हुए हैं। यदि आप पिछली बार की मेरी टिप्पणियों को स्मरण करेंगे तो पायेंगे कि मैं इस बात को लेकर आशान्वित था कि नई सरकार विद्युत क्षेत्र के आधारभूत मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रयास करेगी, जिनमें डिसकॉम की कमजोर वित्तीय स्थिति के साथ-साथ ईंधन संबंधी मुद्दे भी शामिल होंगे। विद्युत

क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट है कि सरकार कोयला, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के बीच लगातार सहक्रिया बनाए हुए है, जिससे कि अंत: संबद्ध प्रतिस्पर्धी मुद्दों का समाधान किया जा सके। यह बात पिछले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी तब देखने को मिल, जब इन तीनों मंत्रालयों के लिए एक ही प्रभारी मंत्री वाले ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कोयला ब्लॉकों के रद्द किए जाने के एक माह के भीतर ही कोयला अध्यादेश लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक ई-बुक जारी की है, जो विद्युत मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है और जिसमें विद्युत क्षेत्र के लिए लक्ष्य और आगे की जाने वाली पहलों की जानकारी दी गई है, इसका आशय यह है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लक्ष्य की तुलना में अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए जनता को अनुमति दे रही है, क्योंकि ई-नीलामी की प्रक्रिया विद्युत मंत्रालय की वेबसाईट जैसे सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। समाचारों में दी जाने वाली रिपोर्ट भी सुझाव देती हैं कि सरकार आगे आने वाले केंद्रीय बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए कुछ और उपायों की घोषणा कर सकती है।

अब हम सरकारी पहलों पर आते हैं। जमीनी स्तर पर एक सबसे बड़ी पहल, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञात है, कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी है। कोयला ब्लॉकों को रद्द किए जाने से पैदा हुई अनिश्चितता का सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी करने से अंत हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिशा में की गई प्रगति दिखाई दे रही है। ई-नीलामी इसके लिए निर्धारित समयावधि के भीतर की गई है, टैरिफ में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। यदि टैरिफ में कोई संशोधन किया जाएगा, तो प्रत्यावर्ती बोली प्रक्रिया के कारण टैरिफ में कमी ही होगी- जैसा कि 6 कोयला ब्लॉकों के लिए 54 बोलियां प्राप्त की गई हैं और बोली प्रक्रिया में केप का भी प्रावधान है, जो कोल इंडिया के मूल्य के समतुल्य है और प्रत्यावर्ती बोली प्रक्रिया के जरिए यदि संशोधन किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से टैरिफ में कमी होगी, इसका अभिप्राय यह है कि टैरिफ में वृद्धि नहीं होगी। यह पहल बेहतर साबित होगी, इसका अन्य कारण यह है कि कोयला संधारण करने वाले राज्यों को

कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी से 20-25 वर्ष की अवधि में 7 लाख करोड़ रूपए का राजस्व मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों को कोयला आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है और फरवरी 2015 के अंत तक आवंटियों की घोषणा की जाएगी।

कोयला की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड 2019-20 तक अपने मौजूदा 500 मीट्रिक टन के कोयला उत्पादन लक्ष्य को दोगुना करते हुए लगभग 1 बिलियन टन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसका आशय यह है कि अगले 4 वर्षों में से हर वर्ष लगभग 18% की वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना की गई है । और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को विभिन्न उपायों के जरिए प्राप्त किया जाएगा, जिनमें उत्पादित कोयले के बेहतर ढंग से परिवहन के लिए पहले से जारी तीन जटिल रेल परियोजनाओं (झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़) को पूरा करने के लिए 5000 करोड़ रूपए का निवेश शामिल है और जिससे वर्ष 2017-18 के दौरान आउटपुट 60 मीट्रिक टन और वर्ष 2021-22 के दौरान 200 मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड कोयले के अधिक परिवहन के लिए 250 अतिरिक्त रैक खरीदेगा और प्रौद्योगिकी, उपस्करों के आधुनिकीकरण तथा दक्षता संबंधी उपायों के लिए निवेश निर्धारित कर दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड में 434 मीट्रिक टन की अधिकतम क्षमता के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 126 नई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसका आशय यह है कि अगले दो वर्षों में कोयला की खोज लगभग तीन गुणा हो जाएगी। कोयला संपर्क के औचित्य स्थापन की भी परिकल्पना की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप कोयला खानों को निकटतम पावर प्लांटों से जोड़कर कोयले की परिवहन लागत के रूप में 6000 करोड़ रूपए की बचत होने की संभावना है। गुजरात और एनटीपीसी के बीच कोयला खानों के लेन-देन से 300 करोड़ रूपए की बचत पहले ही की जा चुकी है और 25 वर्ष से अधिक पुराने पावर प्लांटों से नए पावर प्लांटों, जिनमें सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का दक्षता पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है और जो बचे हुए कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, के लिए कोयला संपर्क के स्वचालित स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है,

इसका आशय यह है कि कोयले की उतनी मात्रा से ही हम अधिक विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। हमें इसके परिणाम पहले ही दिखाई देने लगे हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर-नवंबर 2013 में 1% की तुलना में अक्टूबर-नवंबर 2014 में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अब तक की सर्वाधिक 14.1% की वृद्धि दर्शाई है। और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जून-नवंबर 2013 की तुलना में जून-नवंबर 2014 के दौरान कोयला उत्पादन में 8.4% की वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार विद्युत क्षेत्र की एक जटिल समस्या अर्थात कोयले की आपूर्ति का बड़ी तेजी से समाधान कर रही है, जो विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को अत्यावश्यक राहत प्रदान करेगा। सरकार भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी अत्यधिक जोर दे रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। 2022 तक 100 गीगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता होगी।

विश्व स्तर की नवीकरणीय ऊर्जा समिट अर्थात आरई इनवेस्ट इस माह के दौरान अनुसूचित है, जिसमें भारत की सामर्थ्य, व्यापार करने की सरलता को प्रदर्शित किया जाएगा और इतने बड़े पैमाने पर पूंजी आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए हरित ऊर्जा कोरिडोर का भी कार्य सक्रिय गति से किया जा रहा है, जिससे कि इस नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन हेतु उच्च क्षमता वाली पारेषण प्रणालियां उपलबध कराई जा सकें, क्योंकि यह मौसम पर आधारित विद्युत है और इसके लिए एक पृथक समर्पित पारेषण लाईन की आवश्यकता है। इसके लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक के साथ चर्चा की जा रही है तथा इसका क्रियान्वयन पावर ग्रिड के जरिए करने के लिए बात चल रही है। हरित ऊर्जा कोरिडोर 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा। इन हरित कोरिडोरों के लिए अनुमानित कैपेक्स आवश्यकता 42,500 करोड़ रूपए है।

जहां तक गैस आधारित पावर पलांटों के पुररूद्धार का संबंध है, सरकार इस स्थिति

से वाकिफ है और इस दिशा में बहुत से उपायों पर विचार कर रही है, जिनने गैस के मूल्यों की पुलिंग और ऐसे ही अन्य उपाय शामिल हैं। अब हम वितरण क्षेत्र में किए गए कुछ सकारात्मक उपायों की चर्चा करेंगे, जो कि चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

5-माह की रिकॉर्ड समयावधि में वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए दो नई योजनाएं तैयार की गई हैं, सरकार द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया है और आज कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनाएं इस प्रकार हैं : शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीवाईवाई)। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 75,000 करोड़ रूपए के निवेश की परिकल्पना की गई है।. 75,000 करोड़ रूपए की 60% धनराशि भारत सरकार की ओर से अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, जिसे राज्य के डिसकॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर 75% तक बढ़ाया जा सकता है और इन दोनों योजनाओं को अगले 2.5-3 वर्ष की अवधि में पूरा करने की संभावना है। इसका आशय यह है कि वितरण क्षेत्र में अगले तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रूपए की निवेश की परिकल्पना की गई है, जिससे वितरण क्षेत्र में अपेक्षित सुधार लाने की उम्मीद है। आईपीडीएस योजना का उद्देश्य उप पारेषण और वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करना और 32,612 करोड़ रूपए के योजना परिव्यय के साथ अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में 100% मीटरिंग का लक्ष्य प्राप्त करना है। अन्य योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि और ग्रामीण घरेलू फीडरों को अलग करना और ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तथा इस योजना के लिए 43,003 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। पहले से जारी आर-एपीडीआरपी जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है, भली-भांति चल रही है, इसका उद्देश्य एटी और सी हानियों को 15% तक कम करना है। वर्तमान में आर-एपीडीआरपी योजना को

44,011 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ आईपीडीएस योजना में आमेलित कर दिया गया है और 22,727 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता, जो भाग क और भाग ख के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के विरूद्ध लगभग पूरी तरह से स्वीकृत कर दी गई है और 39,252 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 7,866 करोड़ रूपए (अनुमानित) की राशि विद्युत कंपनियों को पहले ही संवितरित की जा चुकी हैं। आईटी कार्यान्वयन के भाग के के अंतर्गत 1412 पात्र कस्बों में से लगभग 769 कसबों मे कार्यान्वयन घोषित कर दिया गया है और 491 कार्यान्वयनाधीन कस्बों ने केवल प्रशासनिक उपाय कर एटी और सी हानियों में औसतन 7-8% की कमी दर्शाई है। इसके अलावा सरकार ने राज्य विशेष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्ट उपायों द्वारा 2021-22 तक एटी और सी हानियों को 25% के मौजूदा राष्ट्रीय स्तर को 15% तक लाने के लिए हानि कम करने विषयक लक्ष्य को अंतिम रूप दिया है, जो फीडरों को अलग करके, उप पारेषण और वितरण क्षेत्र में अंतराल घटाकर पर्याप्त विद्युत पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर 100% उपभोक्ताओं की मीटरिंग का लक्ष्य हासिल कर और ऐसी ही अन्य उपायों के जरिए किया जा सकता है।

राज्यों की भागीदारी से सभी घरों के लिए 24*7 विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसने उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य मार्च 2017 तक मौजूदा ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त विद्युत की आपूर्ति करना और ऐसे उपभोक्ताओं जिनके कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें 2018-19 तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। दिल्ली के लिए प्लांट पहले ही तैयार कर लिए गए हैं और कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। सभी को 24*7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने

के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु शीघ्र ही परामर्शदाताओं की नियुक्ति होने वाली है। राज्यों द्वारा टैरिफ याचिका दायर न करने की स्थिति में राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा स्वमेव कार्रवाई करने के लिए नवंबर 2011 में अपीलीय निर्देश के पश्चात विद्युत क्षेत्र में राज्यों द्वारा नियमित रूप से टैरिफ वृद्धि एक सकारात्मक विकास है। सभी राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में टैरिफ आदेश जारी किया है, जो 18% से 19% की रेंज में है और तमिलनाडु राज्य ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में टैरिफ में 37% की वृद्धि की है। इसके अलावा इसी तरह से वर्ष 2014-15 में अन्य 26 राज्यों ने भी टैरिफ आदेश जारी किए हैं और 21 राज्यों ने वर्ष 2015-16 में टैरिफ आदेश जारी किए हैं, जो अभी आने वाले हैं। बिहार राज्य ने पहले ही टैरिफ याचिका दायर कर दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टैरिफ संशोधन राज्यों के लिए एक नियमित प्रक्रिया और विशेषता बन गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि टैरिफ संशोधन बहुत ही अनियमित अवधि में किया जाता था और यह बड़ी अनियमित विशेषता थी। इसके अलावा विद्युत अधिनियम 2003 में भी संशोधन किया गया है। सरकार इन संशोधनों पर सक्रियता के साथ विचार कर रही है, जिनके अनुमोदन के पश्चात लागू होने की संभावना है। वस्तुत: मंत्रिमंडल ने इन संशोधनों के लिए पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इनमें वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ग्रिड स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैरिएज और कंटेंट का पृथक्करण शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रिड स्थिरता और पीक लोड की कमी को दूर करने के लिए स्पाइनिंग रिजर्व बनाए रखने और ग्रिड मानकों का अनुपालन न करने के लिए बड़ी शास्तियों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता प्रस्ताव लागू किए जाने हैं। साथ ही विकासकर्ताओं के लिए नवीकरणीय विद्युत उत्पादन बाध्यता भी लागू की जानी है, जिससे कि वे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए कुछ-न-कुछ उत्पादन क्षमता अनिवार्य रूप से स्थापित करने के लिए बाध्य हों। टैरिफ का औचित्य स्थापन, एसईआरसी द्वारा स्वमेव टैरिफ संशोधन का प्रावधान, बिना किसी नगदी अंतराल के राजस्व की

वसूली, मुक्त पहुंच प्रावधान को प्रचालित करना और एसईआरसी की जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए नियामक आयोगों का सुदृढ़ीकरण इन संशोधनों में मुख्य रूप से शामिल है। इस प्रकार से संक्षेप में हम यह देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ प्रयासों के परिणाम जमीनी तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे कोयला ब्लॉकों का आवंटन और कुछ उपाय योजना चरण पर भी हैं। इस तथ्य के बावजूद भी कि सरकार बहुत सी पहलों के साथ इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र का पुनरूद्धार होगा। इस प्रकार से मैं अपनी टिप्पणियों को यहीं समाप्त करता हूं और अब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू किया जा सकता है।

मॉडरेटर: महोदय, आपका बहुत-बहुत **धन्यवाद।** देवियों और सज्जनों, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे। पहला प्रश्न सुनिधि सिक्योरिटीज के श्री बजरंग बाफना की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

बजरंग बाफना: महोदय, मैं केवल एक बात समझने का प्रयास करना चाहता हूं कि आरबीआई के नए दिशानिर्देश, जो इस नियम 5:25 के संबंध में लागू किए गए हैं, के बारे में हमने दर्शाया है कि हम इन दिशानिर्देशों का 01 अप्रैल 2015 से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसी स्थिति में पुनर्गठन के मूल्य के लिए आंतरिक अनुमान लगाने और 17,000 करोड़ रूपए का प्रावधान करने का क्या उद्देश्य है और यदि हम आरबीआई के दिशानिर्देशों को लागू करते हैं तो आपके दर्शाए अनुसार यह संख्या लगभग 3000 करोड़ के आसपास होगी। ऐसी स्थिति में क्या आप इस संदर्भ में कुछ स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं?

आर नागराजन: सबसे पहले हम परिसंपत्तियों के पुनर्गठन और/अथवा नियम 5:25 के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के बारे में ही बात करेंगे। जहां तक हमारा संबंध है, हमने यह पहले भी स्पष्ट किया है कि हम परिसंपत्तियों के सभी प्रकार के पुनर्गठन के प्रयोजन से अपनी स्वयं की स्वेच्छाचारी शर्तों का अनुपालन करते हैं। हम

आरबीआई के दिनांक 23 जनवरी 2014 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमारी शर्तों के अनुसार हमने जो कुछ भी किया है, उसमें नगदी प्रवाह की समस्या के कारण स्थगित कर दी गई किसी परियोजना अथवा डीसीसीओ की समस्या से प्रभावित किसी परियोजना के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे सीएमडी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्गठित परिसंपत्तियों के 17,000 करोड़ रूपए (अनुमानित) में से लगभग 2500 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियां ऐसी हैं, जिनमें ऋणकर्ता के समक्ष नगदी प्रवाह की समस्या है और वे हमारे पास पुनर्गठन के लिए आए हैं और तभी हमने उनका पुनर्गठन किया है। बकाया 14,500 करोड़ रूपए अथवा 15,000 करोड़ रूपए की राशि इस तथ्य के कारण दर्शाई गई है कि परियोजनाओं का स्थगन डीसीसीओ को आगे बढ़ाए जाने के कारण किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार यदि ऋणकर्ता के नियंत्रण से परे कोई समस्या होती है तो ऐसे मामले में डीसीसीओ के लिए 2 वर्ष+1 वर्ष और किसी कानूनी विवाद के मामले में चौथे वर्ष का प्रावधान है। स्पष्ट करने के लिए डीसीसीओ को आगे बढ़ाए जाने के मामले में हम इसके लिए पुनगर्ठित परिसंपत्तियों के रूप में प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि हमारी शर्तें वर्ष 2007 में अनुमोदित की गई थीं और आरबीआई की शर्तें अभी हाल ही में लागू की गई हैं, ऐसी स्थिति में हम अपनी शर्तों की अनुदेखी नहीं कर सकते हैं और इसलिए इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। इस प्रकार हम पुनर्गठन के लिए एक रूढ़िवादी पहल अपना रहे हैं, इसलिए इसे दो तरह से वर्गीकृत किया गया है- एक तो वह जहां पुनर्गठन नगदी प्रवाह की समस्या के कारण किया गया है और दूसरा स्थापना में विलंब के कारण डीसीसीओ को आगे बढ़ाया गया है, इसे भी हम पुनर्गठन के रूप में ही मानते हैं। इस संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा उनका मानना है कि पुनर्गठन के मामले में भी आपको 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण पर 2.75% की दर से प्रावधान करने की आवश्यकता है। सितंबर माह से हमने जो कुछ भी किया है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इसके चलते पूरा बोझ 31 मार्च को समाप्त तिमाही पर नहीं डाला जा सकता है, इसीलिए हमने यह

प्रक्रिया सितंबर 2014 से आगे शुरू कर दी है, जहां हमने 30 सितंबर को 2.75% के 50% का प्रावधान किया है। मेरा मानना है कि हमने उस समय विशेष में लगभग 215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस तिमाही में हमने 31 मार्च तक लगभग 146 करोड़ रूपए की बकाया परिसंपत्तियों पर 2.75% के एक चौथाई का प्रावधान किया है और पुनगर्ठित परिसंपत्तियों पर 31 दिसंबर 2014 तक हमने कुल मिलाकर 362 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। आपका अगला प्रश्न 25:5 नीति, जिसे आप लागू कर रहे हैं, से संबंधित है। कृपया 25:5 नीति देखें, जिसमें हमें एक नीतिगत विवरण तभी प्राप्त हुआ है, जब 1986 में हमारी कंपनी शुरू की गई थी, जिसे प्रचालनात्मक नीतिगत विवरण कहा जाता है। इस पर विश्व बैंक और एडीबी के साथ चर्चा की गई, जो उस समय इसके लिए निधियन कर रहे थे। उस समय हमें थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पुनर्भुगतान हेतु क्रमश: 20 वर्ष और 15 वर्ष का रोल ऑफ प्राप्त हुआ था। आज हमने जो कुछ भी किया है, वो उस नीति के अनुसार किया है, हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल उन तथ्यों का संशोधित किया है, जहां उन्होंने स्थापना से पहले के मामले में 80% के लिए पुनर्भुगतान को पुनर्गठित करने की बात कही है और स्थापना के पश्चात के मामले में 85% आर्थिक जीवन काल को समायोजित करने की बात कही गई है। इस प्रकार हमने आज जो कुछ भी किया है, हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी नीति में अनुरूपता लाने के लिए किया है ताकि इसका इस्तेमाल हमें मिलने वाली सभी परियोजनाओं के लिए किया जा सके, इसके अलावा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप अन्य परियोजनाओं के लिए आर्थिक जीवन काल के संबंध में सीईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार हम 22-24 वर्ष की मौजूदा विशेषता को भी लागू कर सकते हैं।

बजरंग बाफना: इस प्रकार 01 अप्रैल 2015 के बाद क्या आप अपने आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन जारी रखेंगे अथवा आप अपने आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन बंद

कर देंगे?

आर नागराजन: देखिए हमने अपने सभी निवेशकों को समय के संबंध में पहले ही स्पष्ट कर दिया है और एक बार पुन: 1/4/2015 से सभी ऋण स्वीकृतियों के लिए हम पूरी तरह से आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे, चाहे वे ऋण स्वीकृतियां राज्य क्षेत्र के लिए अथवा किसी निजी क्षेत्र के लिए क्यों न दी जाएं।

बजरंग बाफना: परंतु क्या 17,000 करोड़ रूपए जो आज की तारीख में मौजूद है, वर्ष 2015 के बाद भी जारी रहेगा?

आर नागराजन: जी हां, वह आगे भी जारी रहेगा। हमने स्पष्ट कर दिया है और यदि हमारी स्वैच्छिक शर्तें आज भी जारी रहती हैं, तो हम इसे वर्गीकृत करेंगे। इसके लिए भी हमने आरबीआई से अनुरोध किया है कि वह इसकी पुष्टि करे। हम आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। आरबीआई ने हमें अवगत कराया है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं।

बलराम गर्ग: ठीक है, इस प्रकार इस संबंध में स्पष्ट तथ्य आगे उभरकर सामने आएंगे।

आर नागराजन: जी हां।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न एक्विरस सिक्यूरिटीज के **देवम मोदी** की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

देवम मोदी: महोदय, सबसे पहले मैं कमीशनिंग पाईपलाइन के बारे में समझना चाहता हूँ, जो हमारे पास केंद्रीय, राज्य, संयुक्त और निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2015 की शेष अवधि और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए रूपए, मिलियन और मेगावाट क्षमता के रूप में उपलब्ध हैं। मेरा आशय यह है कि क्या आप निजी क्षेत्र को एक और अन्य के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं?

आर नागराजन: **मैं आपको यह जानकारी बकाया परिसंपत्तियों के आधार पर दूंगा। आज की स्थिति के अनुसार ये आंकड़े केंद्रीय क्षेत्र की स्थापित परियोजनाओं के लिए**

45,425 करोड़ रूपए , निजी क्षेत्र के लिए 6637 करोड़ रूपए और कुल मिलाकर यह 52,062 करोड़ रूपए है तथा कुल उत्पादन का प्रतिशत 34% होगा, कुल ऋण परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में यह 26% है। वर्ष 2014-15 में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए यह लगभग 38,520 करोड़ रूपए, वर्ष 2015-16 के लिए 36,211 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2016-17 के लिए 8618 करोड़ रूपए है। क्या आप मेगावाट क्षमता के रूप में जानना चाहते हैं ?

देवम मोदी: यह राशि उस पोर्टफोलियो की है, जिसकी अभी स्थापना की जानी है, क्या मैं ठीक हूं?

आर नागराजन: मैंने केवल रूपए के संदर्भ में जानकारी दी है, वो भी करोड़ रूपए में।

देवम मोदी: और क्या वह केंद्र अथवा निजी क्षेत्र के लिए थी?

आर नागराजन: यह केंद्रीय क्षेत्र के लिए वर्ष 2014-15 में 27,913 करोड़ रूपए– वर्ष 2015-16 के लिए 27,535 करोड़ रूपए और वर्ष2016-17 के लिए 5057 करोड़ रूपए है। निजी क्षेत्र के लिए यह वर्ष 2014-15 में 10,607 करोड़ रूपए, वर्ष 2015-16 में 8,676 करोड़ रूपए और वर्ष 2016-17 में 3560 करोड़ रूपए है। ये सभी रूपए में हैं।

देवम मोदी: क्या अब आप इनका उल्लेख मेगावाट क्षमता के रूप में कर सकते हैं?

प्रबंधन: केंद्रीय क्षेत्र के लिए जो परियोजनाएं पहले से स्थापित की जा चुकी हैं, की कुल क्षमता 22,963 मेगावाट है। यह केंद्रीय क्षेत्र में पहले से स्थापित की जा चुकी हैं और निजी क्षेत्र में पहले से स्थापित की जा चुकी परियोजनाओं की कुल क्षमता 8008 मेगावाट है। इस प्रकार अब तक स्थापित की जा चुकी कुल क्षमता 30,971 मेगावाट है और जहां तक केंद्रीय क्षेत्र का संबंध है, अभी स्थापित की जाने वाली

क्षमता के संबंध में ये आंकड़े वर्ष 2014-15 के लिए वर्ष 2014-15 के लिए 5,921 मेगावाट, 2015-16 के लिए 9,650 मेगावाट और वर्ष 2016-17 के लिए 3,330 मेगावाट और वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद बकाया क्षमता3,720 मेगावाट है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, अभी स्थापित की जाने वाली मेगावाट क्षमता के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 12,311 मेगावाट, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 9975 मेगावाट और वर्ष 2016-17 के लिए 3770 मेगावाट तथा वर्ष 2016-17 के बाद 1043 मेगावाट हैं। यदि आप केंद्रीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र के आंकड़ों को जोड़ देते हैं तो अभी स्थापित की जाने वाली कुल मेगावाट क्षमता के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 18,232 मेगावाट, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 19,625 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 7000 मेगावाट तथा 2016-17 के बाद 4763 मेगावाट है।

देवम मोदी: इस प्रकार अब इस संबंध में केवल एक प्रश्न है, उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2015 में स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता 18000 मेगावाट आती है। इसमें से ज्यादातर लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाएगा। यदि ये लक्ष्य पूरे नहीं किए जाते हैं, तब क्या हमारे पुनर्गठन में वृद्धि होगी अथवा यह हमारे मौजूदा पुनर्गठन के भाग के रूप में पहले से ही शामिल है?

प्रबंधन: इस संबंध में हम आपको आगे अवगत कराएंगे। आप केवल श्री अरोड़ा को एक ईमेल भेज दें। हम आपको इस संबंध में स्पष्टीकरण भेज देंगे, क्योंकि हमें अपनी खाताबही का अवलोकन करना होगा और फिर इसके बाद ही हम आपको कुछ जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि हमें यह देखना है कि इसने 2 वर्ष अथवा 2+1 अथवा 2+1+1 की समयावधि पूरी की है या नहीं और इसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और इसे वहां कैसे दर्शाया गया है। इस संबंध में यह संभावना है कि मार्च 2015 तक इसके अधिकांश भागकी स्थापना हो जाए। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में

रखना है और केवल तभी हम सही आंकड़े बताने में सक्षम होंगे।

देवम मोदी: महोदय, वर्ष 2015-16 में परिसंपत्तियों के पुनर्भुगतान और देनदारियों के पुनर्भुगतान से जुड़ी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं ?

प्रबंधन: वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्त मूलधन 3298 करोड़ रूपए, वर्ष 2015-16 के लिए 16419 करोड़ रूपए, वर्ष 2016-17 के लिए 18214 करोड़ रूपए है। मार्च तक ऋण का पुनर्भुगतान 8771 करोड़ रूपए, वर्ष 2015-16 के लिए 23714 करोड़ रूपए और वर्ष 2016-17 के लिए 22,337 करोड़ रूपए है। पुट और कॉल विकल्प लागू करने के पश्चात संपूर्ण तरलता अंतराल के संबंध में मार्च 2015 तक कुल प्राप्तियां 11236 करोड़ रूपए, पुनर्भुगतान12,280 करोड़ रूपए, जिसमें व्यय, कर, लाभांश सब कुछ शामिल है और वर्ष 2015-16 में कुल प्राप्तियां 40,304 करोड़ रूपए, पुनर्भुगतान 37527 करोड़ रूपए, वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्तियां 40,051 करोड़ रूपए, और कुल भुगतान 34,847 करोड़ रूपए हैं।

देवम मोदी: महोदय, अंतिम रूप से मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में संधिकालीन ऋणों और राज्य तथा केंद्रीय क्षेत्र के ऋणों पर क्या ब्याज दर ली जा रही है?

प्रबंधन: सरकारी गारंटी के साथ 12.25 प्रतिशत की दर से।

देवम मोदी: महोदय, क्या यह सभी सरकारी गारंटी प्राप्त ऋणों के लिए है, चाहे वह संधिकालीन ऋण हो अथवा नहीं?

प्रबंधन: एक वित्तीय संस्थान के रूप में हमें ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करना पड़ता है, जिनके पास भौतिक परिसंपत्तियां जैसे पारेषण प्रणाली या कोई उत्पादन प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली उपलब्ध होती है। यदि किसी ऋण के लिए कोई सुरक्षा अथवा गारंटी उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो हम ऐसे ऋणों को गारंटी प्राप्त

होने के बावजूद भी एक असुरक्षित ऋण के रूप में मानते हैं।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न बैंक ऑफ अमेरिका के **जय मंत्रा** की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

जय मंत्रा: मेरा प्रश्न तिमाही के दौरान नए सिरे से किए गए पुनर्गठन पर है, आपकी परिभाषा के अनुसार पुनर्गठित बही में हमने निबल रूप से लगभग 1800-1900 करोड़ रूपए की वृद्धि देखी है। इसलिए मैं केवल यह समझना चाहता हूं कि तिमाही के दौरान नए सिरे से किया गया सकल पुनर्गठन क्या है?

आर नागराजन: वास्तव में एमबी पावर लिमिटेड के लिए हमने पुनर्गठन किया है। इसके अलावा लैंको पावर लिमिटेड को भी हमने कुछ धनराशि संवितरित की है, जो अतिरिक्त पुनर्गठन के रूप में दर्शाया गया है, इस प्रकार यह आंकड़ा कुल मिलाकर 1600 करोड़ रूपए है।

जय मंत्रा: और फिर क्या लैंको के संवतिरण में भी कुछ वृद्धि हुई है, ठीक है, इस प्रकार क्या इससे आपको लगभग 1900 करोड़ रूपए प्राप्त हुए ? इस प्रकार 1600 करोड़ रूपए का पुनर्गठन नया है और फिर लैंको को दिए गए 300 ऑड करोड़ रूपए जोड़ने पर यह आंकड़ा 1900 करोड़ रूपए हो जाता है।

आर नागराजन: मैं आपको पूरी राशि के बारे में स्पष्ट करूंगा। देखिए, एमबी पावर के लिए यह राशि 693 करोड़ रूपए, जीएमआर छत्तीसगढ़ के लिए 504 करोड़ रूपए, लैंको अमरकंटक पावर के लिए 408 करोड़ रूपए और कुल मिलाकर 1605 करोड़ रूपए है।

जय मंत्रा: और महोदय, दूसरा प्रश्न ऋणों पर आपकी यील्ड से संबंधित है, इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार वृद्धि हो रही है, परिसंपत्तियों पर आपका यील्ड लगातार बढ़ रहा है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि दो-तीन तिमाहियों में 12.25 से बढ़कर वस्तुत: 12.51 हो गया है। इसलिए मैं केवल यह समझना चाहता हूं कि क्या

जोखिम वास्तव में बढ़ रहा है अथवा आप औसत आधार पर इतना उच्च यील्ड कैसे प्राप्त कर रहे हैं? आप इतने विश्वस्त कैसे हैं कि आप यहां कोई जोखिम नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या इस संबंध में आप कुछ प्रकाश डालेंगे?

आर नागराजन: वर्ष 2014 में जबसे हमने 3-वर्ष की रिसेट अवधि को लागू किया है, तबसे हमारी ज्यादातर परिसंपत्तियों का पुन: मूल्य निर्धारण केवल 3 वर्ष में किया जाता है। लगभग 2% परिसंपत्तियों के लिए पुन: मूल्य निर्धारण की अवधि लगभग 10 वर्ष अथवा उसके आसपास है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी हो रहा है, माना कि सभी परिसंपत्तियों का पुन:मूल्य निर्धारण इस वित्तीय वर्ष में किया जाता है, ऐसी स्थिति में ये सभी परिसंपत्त्यिां ऐसेऋणों केरूप में होंगी, जिनका संवितरण्उा वर्ष 2011-12में किया गया है। इसलिए उन दिनों यदि आप बेस रेट के आधार पर आरबीआई की 2010 नीति को देखेंगे, तो स्थिति सपष्ट हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेस रेट को 01 जुलाई 2010 से लागू किया गया था। इसलिए उस समय से बैंकों के सभी ऋण 8% की दर पर थे। तत्पश्चात वे अपनी दरों में वृद्धि कर रहे हैं और ये लगभग 10.25% अथवा 10.5% तक बढ़ गई थीं। इसलिए उस बवधि के दौरान भी काफी उच्च ब्याज दर वसूल की थी। परंतु पुन: मूल्य निर्धारण किया जा रहा है और माना कि हम 2011-12 में किए गए संवितरण में वृद्धि कर रहे थे, इसलिए हमने 2012-13 में दर बढ़ा दी थी और अब हम सावधि ऋण पर भी ब्याज दर में अच्छी, खासी वृद्धि करने के लिए तैयार है। जब इसका पुन: मूल्य निर्धारण किया जाता है तो हम उनसे वर्तमान में ली जा रही ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पर इसका मूल्य निर्धारण करते हैं। इसलिए आप यह महसूस कर रहे हैं कि ब्याज का पुन: मूल्य निर्धारण बैंकों और संस्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर पर किया जाता है। हो सकता है कि कुछ अवधि के लिए इनमें कमी हो, क्योंकि यदि पूर्ववर्तीतीन वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज दर का चक्र अपेक्षाकृत अधिक रहा है, यदि अगले वर्ष इसमें तेजी से गिरावट आती है,

तो यील्ड अपने आप बढ़ने लगेगा। ऐसा नहीं है, क्या आपका प्रश्न अधिक जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के होने से संबंधित है? उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो क्षेत्र को राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के रूप में विभाजित करते हैं, और एक बार पुन: राज्य क्षेत्र में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, जिसमें दोनों केंद्रीय और राज्य क्षेत्र निहित होते हैं, जिसका सम्मिलत प्रतिशत लगभग 85-86%है, शेष बचा हुआ प्रतिशत निजी क्षेत्र का है। इसलिए हमने निजी क्षेत्र के भी ऐसे खातों का प्रकटन किया है,ख जहां समस्या है, जो पुनगर्ठित खाते हैं, जहां पुनर्गठन किया गया है। डीसीसीओ के कारण जो कुछ भी किया जाता है, वैसा हीनगदीप्रवाह की समस्या के चलते किया जाता है। इसलिए मैं यह नहीं सोचता हूं कि इस जोखिम के कारण ब्याज दर में वृद्धि हुई है। यह उस निश्चित समयावधि के दौरान पुन: मूल्य निर्धारण के कारण हुई है, जब ऋणों का संवितरण किया गया था। वास्तव में परिसंपत्तियों पर यील्ड बढ़ने का एकमात्र कारण यही है।

जय मंत्रा: महोदय, अंत में मैं1600 करोड़ रूपए के नए पुनर्गठन के संबंध में जानना चाहता हूं कि हमने एक बार में ही 5% का प्रावधान कर दिया है, मेरा आशय यह है कि क्या हमने पूरा प्रावधान कर लिया है -

आर नागराजन: जी नहीं, हमने 2.75% का प्रावधान किया है –जो 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार 75% है।

जय मंत्रा: ठीक है, परंतु फिर आपको पूरे 5% का प्रावधान करना होगा, क्या मैं ठीक हूं?

आर नागराजन: यह मार्च 2018 तक किया जाएगा।

जय मंत्रा: यहां तक कि क्या इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी?

आर नागराजन: उत्तरोत्तर वृद्धि, मैंने पूर्ववर्ती प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है, हम ऐसा करना 01 अप्रैल 2015 के बाद वाले ऋणों के लिए ये शुरू करेंगे, जिनका पुनर्गठन, स्वीकृति और संवितरण किया जाएगा, उनके संबंध में हम 5% का

अनुपालन करेंगे।

मॉडरेटर: हमारा अगला प्रश्न आईसीआरए लिमिटेड की **विभा बत्रा** की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

विभा बत्रा: मेरा प्रश्न इस संबंध में है कि क्या आप इस वर्ष पुनर्मूल्यांकित की जाने वाली परिसंपत्तियों के संबंध में हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं और क्या अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम घटती हुई ब्याज दरों के परिदृश्य में हैं और हमारे ऋणों का अधिकांश भाग निर्धारित दर पर होगा, क्योंकि आप बड़ी संख्या में बांड जारी करते हैं। इस प्रकार इस परिदृश्य में ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखने के लिए आपकी क्या रणनीति है?

आर नागराजन: **मार्च 2015 तक परिसंपत्तियों के पुननिर्धारण का आंकड़ा** 8367 **करोड़ रूपए** और देनदारियों के पुनर्निर्धारण 20467 करोड़ रूपए है। 2015-16 के लिए ये आंकड़े क्रमश: 74,474 करोड़ रूपए और 6,285 करोड़ रूपए हैं।

विभा बत्रा: इस प्रकार इस विश्लेषण के आधार पर क्या ब्याज दरें नरम होंगी?

आर नागराजन: सबसे पहले मैं आपको इनकी संख्या के बारे में अवगत कराता हूं। मार्च 2015 तक परिसंपत्तियों के पुन: निर्धारण का आंकड़ा 8367 करोड़ रूपए और देनदारियों के पुनर्निर्धारण का आंकड़ा 20,467 करोड़ रूपए का है। वर्ष 2015-16 में पुन: परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य निर्धारण का आंकड़ा 66,827 करोड़ रूपए और देनदारियों के पुनर्निर्धारण का आंकड़ा 44,684 करोड़ रूपए है।

विभा बत्रा: इसलिए यदि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है, तो यह अपेक्षाकृत कम रहेगी, परंतु यह मानते हुए कि कुछ आईपीपी, जिनका क्रेडिट प्रोफाईल बेहतर है, में और जब वे पुन: मूल्य निर्धारण के लिए अनुरोध करते हैं तो क्या हो सकता है कि पीएफसी को कुछ बेहतर उपभोक्ताओं को खोना पड़ जाए और राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के

ऋणों के साथ राज्य क्षेत्र के चूककर्ताओं, जो औसत ग्राहक हैं और जहां ऋण राज्य सरकार की गारंटी के आधार पर दिया जाता है, ऐसा होने की आशंका है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यह संभावित खतरा हो सकता है ?

आर नागराजन: सबसे पहले हमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में मौजूदा प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, जैसा आप सभी भली भांति जानते हैं कि पीएफसी का निबल मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रूपए है। इसलिए किसी एकल परियोजना पर हम लगभग 7500 करोड़ रूपए का और सामूहिक रूप से लगभग 12000 करोड़ रूपए का एक्सपोजर ले सकते हैं । इसलिए इस क्षेत्र के अनुसार सभी बैंकों और समावेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस क्षेत्रके निधियन के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं। ऐसे केवल 4-6 बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक हैं, यदि आप इनको छोड़ दें , तो अन्य लोग जो इन परियोजनाओं के लिए निधियन कर सकते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। वे केवल 100 करोड़ रूपए, 200 करोड़ रूपए का ही निधियन कर सकते हैं। इसलिए सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और फिर बड़ी विद्युत परियोजनाओं को अत्यधिक महत्व दिएजाने के कारण ज्यादातर परियोजनाओं के लिएलगभग 5000 -10000 करोड़ रूपए की निधियन की आवश्यकता होगी, इसलिए सभी ऋणकर्ताओं के लिए यह बेहतर है कि वे अतिरिक्त 25 बीपीएस का भुगतान कर पीएफसी और आरईसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करें, क्योंकि हम प्रत्येक संवितरण के लिए यदि हमारे पास 20 ऋणकर्ता भी मौजूद हैं, तो हम लगभग 60-75 दिन का समय लेते हैं। यदि हमारे पास केवल 6 ऋणकर्ता आते हैं तो हम लगभग 15-30 दिन का समय लेते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि यदि किसी के पास केवल थोड़े ऋणकर्ता हैं और वह अपेक्षाकृत अधिक प्रभार वसूल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप परियोजना को समय पर पूरा कर पाएंगे। आवश्यक शर्तों का अनुपालन और फिर उनकी अनुवर्ती कार्रवाई, तत्पश्चात विभिन्न सांविधिक औपचारिकताएं और

स्वीकृतियां तेजी से प्राप्त होंगी। इसलिए पीएफसी के लिए यहां तक कि निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि जैसा आपको स्पष्टतया ज्ञात है कि सरकारी क्षेत्र में कोई भी निधियन नहीं चाहता है। इसलिए प्रत्येक बैंक वितरण कंपनियों के बांड अपने पास रखते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि कम-से-कम एक अथवा दो वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धा को लेकर कोई समस्या है। माना कि यदि कोई बेहतर ऋणकर्ता भी पुनर्भुगतान करना चाहता है, तो हम उसे भी पुनर्भुगतान करने की अनुमति खुशी-खुशी दे देते हैं, क्योंकि हम ऋण की बकाया अवधि पर निर्भर करते हैं। हम उस स्थिति में एक प्रीमियम भी ले रहे हैं, यदि ऋण की बकाया अवधि 10 वर्ष है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि हम उनसे उस राशि, जिसका वे पुनर्निधियन कर रहे हैं, के 2.5% का प्रभार वसूल कर रहे हैं। माना कि वे 1000 करोड़ रूपए का भुगतान करते हैं, ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि हम उनसे 25 करोड़ रूपए का प्रभार वसूलते हैं। इससे निर्धारित राज्य बांडों के सवाल,जो आप सभी उठा रहे हैं कि क्षतिपूर्ति होगी, ऐसी स्थिति में हमें क्या हानि होगी। इस प्रकार हमें 2.5% तक की क्षतिपूर्ति हो जाती है। जहां तक दसवर्षीयबांड का संबंध है, हमें धनराशि प्राप्त होगी और हम फिर उसका पुन: निवेश करेंगे और उन्हें उतना ही मूल्य मिलता है, जितना बांडों के लिए कर रहे हैं।

विभा बत्रा: परंतु महोदय, आईपीपी में भी क्या आप क्रेडिट प्रोफाईल के आधार पर अलग-अलग ब्याज दरें वसूल करते हैं?

आर नागराजन: जी हां, आप सभी को स्पष्टतया ज्ञात है कि हमारे यहां आईआर1,2,3,4,5और आईआर1 – आईआर5 जैसी रेटिंग व्यवस्था लागू की गई है । हम ऋणकर्ता की विश्वसनीयता के आधार पर भी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक्सपोजर भी बेहतर गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसका आशय यह है कि हम बेहतर गुणवत्ता के लिए अपेक्षाकृत अधिक एक्सपोजर और निम्नतर गुणवत्ता के लिए निम्न एक्सपोजर देते हैं। इसलिए हमारी रेटिंग व्यवस्था में इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है।

विभा बत्रा: इसलिए क्या आप यह सोचते हैं कि जो विस्तार आपके पास है, वह प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, कम-से-कम अच्छी परियोजनाओं को लेकर अथवा आप इस संबंध में क्या सोचते हैं।

आर नागराजन: मैं नहीं सोचता हूं कि कम-से-कम अगले दो वर्ष तक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

विभा बत्रा: परंतु आपको जैसा ज्ञात है कि आईडीएफसी और आईएफसीएल के स्टॉक के साथ और चूंकि अधिकांश लोग पूर्ण परियोजनाओं के बारे में अपेक्षाकृत अधिक आशान्वित होते हैं, परंतु आज की स्थिति में निश्चित रूप से आईडीएफसी मौजूद है, परंतु यह आपके व्यापार के लिए एक संभावित खतरा अवश्य है।

प्रबंधन: कम से कम दो वर्ष तक मैं नहीं सोचता हूं कि ऐसा कुछ घटित होगा, क्योंकि पीएफसी से ऋण लेने के लिए लोगों की लाईन लगी हुई है और हमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा है और न ही हम अभी कोई प्रतिस्पर्धा झेल रहे हैं। जैसा कि हमें स्वयं ही इन आईपीपी का निधियन करने में विशेष ध्यान रखना होगा।

विभा बत्रा: और आपके अस्वीकरण की दर क्या होगी, मेरा आशय आपकेपास आने वाली परियोजनाओं से है?

आर नागराजन: विभा, मैं यह कर सकता हूं। आप मेरे पास भेंजें। हम जांच करेंगे और फिर आपसे संपर्क करेंगे। हमारे पास अभी तत्काल आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

विभा बत्रा: डाटा से संबंधित एक प्रश्न, लगभग 37,700 ऑड करोड़ रूपए की उत्पादन क्षेत्र की स्वीकृतियों में से कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए है और कितनी पारंपतिरक ऊर्जा क्षेत्र के लिए होंगे?

आर नागराजन: नवीकरनीय ऊर्जा क्षेत्र के ये लगभग 3% होंगे।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न जेएम फाइनेंशियल के श्री **अमेय साठे की लाईन से है।** कृपया प्रश्न

पूछें।

अमेय साठे: मेरे दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न संवितरण से जुड़ा है, इस तिमाही के दौरान संधिकालीन वित्तपोषण क्या है ?

आर नागराजन: जी हां, जो भी अन्य लोग हैं, हमने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए निधियन किया है, क्योंकि राज्यों का विभाजन हो जाने के कारण उनके समक्ष कुछ परेशानियां थीं, इसलिए वे हमसे तत्काल निधियन करवाना चाहते थे। इस प्रकार हमने आंध्र प्रदेश को लगभग 1000 करोड़ रूपए और तेलंगाना को लगभग 500 करोड़ रूपए का निधियन किया है। इसलिए कुछ संधिकालीन निधियन दर्शाया गया है।

अमेय साठे: और महोदय, आप इस वर्ष और अगले वर्ष अर्थात पहले या दूसरे वर्ष के दौरान संधिकालीन निधियन के रूप में कितनी धनराशि का संवितरण करना चाहते हैं?

आर नागराजन: वस्तुत: इस संबंध में हमारे लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। यह ऋणकर्ता की आवश्यकता की साथ-साथ सुरक्षा पर भी निर्भर करता है। हमें जो कुछ भी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है और जो कुछ भी हमें यील्ड के रूप में प्राप्त होता है, हम उसका निधियन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मार्च 2015 तक 10,000 करोड़ रूपए के निधियन का लक्ष्य दिया जाए और जून 2015 तक अन्य 10,000 करोड़ रूपए के निधियन का लक्ष्य दिया जाए। ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर हम यह संवितरण करेंगे।

अमेय साठे: और आपके प्रेजेंटेशन में आपने नियामक परिसंपत्तियों के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, दिल्ली को भी लगभग 3000 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है, इसलिए आप कैसे आश्वस्त हैं कि यह कंपनी उन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली करने में सक्षम होगी?

आर नागराजन: देखिए, नियामक द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार और निर्धारित नीति के

अनुसार उन्हें नियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए स्रोत उपलब्ध कराना आवश्यक है, जो नियामक द्वारा 2014 के आदेश में दिया गया था, केवल इसी के आधार पर हमने ऋण की शर्तें स्वीकृत की हैं। यह जटिल शर्तों जैसे कंफर्ट लेटर, गारंटियों आदि के अध्यधीन हैं और जब तक कि ऐसा नहीं होता है, हम उन्हें राशि का संवितरण करने में सक्षम नहीं होंगे। यह महज एक स्वीकृति है, इसलिए हमने अब तक इन ऋणों का संवितरण नहीं किया है।

अमेय साठे: और महोदय, अंतिम प्रश्न, जब हम 5:25 नियम को लागू करना शुरू कर देंगे, तो क्या आपको हमारे पुनगर्ठित ऋण पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद है?

आर नागराजन: यह नीति केवल आज अनुमोदित की गई है, यहां तक कि हम इन ऋणों के संबंध में भी 5:25 लागू करते हैं, क्योंकि हम अपनी स्वयं की स्वैच्छिक शर्तों का अनुपालन करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि निजी क्षेत्र के पुनर्गठन में कोई परिवर्तन होगा।

अमेय साठे: ठीक है, इस प्रकार आपको यह उम्मीद नहीं है कि इनमें से कोई भी ऋण किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान के पास जाएगा?

आर नागराजन: जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे नियमों के अनुसार है, हम इसके लिए अपनी शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हमें पुनर्गठन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं करना चाहिए। यह अच्छा प्रतीत नहीं होता। बाजार में लोग यह कहेंगे कि आप बचने के लिए और फिर अपनी खाताबही को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमारा मानना है कि यदि हम इन पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए 25 वर्ष की समयावधि निर्धारित करते हैं तो वे इस मामले में प्रावधान करना जारी रखेंगे।

अमेय साठे: ठीक है, और क्या आपको किसी भी प्रकार के संचलन की भी उम्मीद नहीं है?

आर नागराजन: यहां 'संचलन' शब्द का क्या अर्थ है?

अमेय साठे: ऋण बही में कमी।

आर नागराजन: वो हम नहीं करेंगे।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न मोतीलाल ओसवाल के अल्पेश मेहता की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

अल्पेश मेहता: पुनर्गठित बही में आपने पुन: यह उल्लेख किया है कि हमारी खाताबही के लगभग 17,500 करोड़ रूपए का पुनर्गठन किया गया है, परंतु आरबीआई की परिभाषा के अनुसार मुझे यह संख्या नहीं मिली है।

प्रबंधन: 2700 करोड़ रूपए।

अल्पेश मेहता: क्या इसमें डीसीसीओ भी शामिल है?

प्रबंधन: जी नहीं। यह इसमें शामिल नहीं है। यदि आपको इसे शामिल करना है तो 1100 करोड़ रूपए और आवश्यक होंगे।

अल्पेश मेहता: इन 17,500 करोड़ रूपए में से निजी क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

प्रबंधन: इसमें से सभी निजी क्षेत्र के लिए है।

अल्पेश मेहता: पूरे 17500 करोड़ रूपए निजी क्षेत्र के लिए हैं। इस प्रकार क्या राज्य की उत्पादन कंपनी (जेनको) से कुछ भी संबंधित नहीं है?

प्रबंधन: राज्यों को हम पुनर्गठित परिसंपत्ति के रूप में नहीं मानते।

अल्पेश मेहता: और जहां तक विदेशी मुद्रा देयता की हैजिंग का संबंध है, उसकी अब क्या स्थिति है?

प्रबंधन: केवल 13%।

अल्पेश मेहता: और तिमाही के दौरान हमने जो भी धनराशि जुटाई है, क्या इसकी पूरी तरह से हैजिंग कर ली गई है अथवा इसकी अभी भी हैजिंग की जानी है?

आर नागराजन: देखिए, समस्या तब उत्पन्न हुई जब आरबीआई ने दरों में कटौती की, वस्तुत: दरें आगे बढ़ने की बजाय घट गईं, परंतु अगर आप पिछले चार माह पर नजर डालेंगे तो पायेंगे कि 5 वर्ष अथवा 3 वर्ष अवधि की मुद्रा फारवर्ड में वृद्धि हुई है। इसलिए हम इन लेन-देनों की हैजिंग के लिए उपयुक्त अवसर का इंतजार कर रहे हैं।

अल्पेश मेहता: ठीक है। महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न रत्नागिरी के बारे में है। मुख्यतया, डाभोल पावर प्लांट उसकी स्थिति क्या है? क्या इसमें कोई विकास हुआ है?

आर नागराजन: 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार यह एक एनपीए है। हमें पहले जो कुछ भी बताया गया था, उसके आधार पर हमने इस मुद्दे को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है और रिजर्व बैंक के निर्देश के आधार पर हमने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया है कि 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार सभी ऋणदाताओं के पास भुगतान योग्य जो भी धनराशि उनके खाते में आएगी, वे उस सीमा तक पीएफसी की देय राशियों का समाशोधन करेंगे। इस प्रकार जब वह धनराशि वापस आ जाती है, तो तदनुसार एनपीए का भाग कम होता जाएगा। इस प्रकार जो भी धनराशि आएगी, उदाहरण के लिए 50 करोड़ रूपए, तदनुसार एनपीए का स्तर 50 करोड़ रूपए तक घट जाएगा।

अल्पेश मेहता: आज की स्थिति के अनुसार हमारे पास दो प्रमुख परियोजनाएं महेश्वर और रत्नागिरी पावर हैं, क्या मैं ठीक हूं ?

आर नागराजन: एक रत्नागिरी है, जिसकी देनदारी 732 करोड़ रूपए और दूसरी महेश्वर

जिसकी देनदारी 700 करोड़ रूपए है।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न ड्यूश बैंक के **मनीष शुक्ला** की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

मनीष शुक्ला: पहला प्रश्न लाभ (मार्जिन) से संबंधित है। जैसा आपने ठीक ही कहा है कि आपको कम-से-कम अगले दो वर्ष तक निधियन के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा की उम्मीद नहीं है। उस संदर्भ में आप 5% के ऑड मार्जिन को कब तक बनाए रखने में सक्षम बने रहेंगे, जो आप अभी बनाए हुए हैं?

आर नागराजन: पिछली तीन –चार तिमाहीयों के दौरान हमने इसे लगभग 4.75 प्रतिशत तक बनाए रखा है। मैं यह बता सकता हूं कि 31 मार्च तक यह 4.75 प्रतिशत से नीचे नहीं जा सकता है। इसके पश्चात मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मनीष शुक्ला: ठीक है, इस प्रकार (+4.7), क्या कम से कम अगले 12 से 18 माह के दौरान उम्मीद करने की दृष्टि से यह संख्या अच्छी है?

आर नागराजन: मार्च की स्थिति के अनुसार 4.75 का आंकड़ा ठीक है, क्योंकि आप जैसा देखते हैं और जब स्थिति में सुधार होता है, बजट आता है, आरबीआई दरों में कटौती करता है, तब हम वार्षिक कांफ्रेंस कॉल में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

एम.के. गोयल: और हम बाजार पर भी नजर रखेंगे कि बाजार इन सभी परिवर्तनों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और हम बाजार से भी जुड़े हैं।

मनीष शुक्ला: जैसा आपने कहा है कि आपके निजी क्षेत्र के एक्सपोजर में से लगभग 17,000 करोड़ रूपए की राशि को पुनगर्ठित किया गया है, ऐसी स्थिति में क्या ऐसा अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी निजी क्षेत्र की खाताबही में एनपीका का जोखिम अभी अपेक्षाकृत कम है, समस्या कुछ भी हो, मामलों का कुछ न कुछ पुनर्गठन अभी किया गया है? क्या यह अनुमान सही है?

आर नागराजन: जी हां, इसका पुनर्गठन किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि एनपीए की स्थिति

नहीं बनेगी। हम इस संबंध में आश्वासन नहीं दे सकते हैं। हम प्रगति पर नजर रखेंगे, प्रमोटरों की इक्विटी लाने की क्षमता, सभी ऋणदाताओं की समय पर ऋण मुहैया कराने की क्षमता आदि पर ध्यान रखा जाएगा। यह केवल पीएफसी की ही पहुंच नहीं है। हमने ऐसा किया है और हम इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसलिए हमने स्वीकृतियां ली हैं, हमने पुनर्गठन किया है। अन्य लोगों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। इसलिए हम न तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं और न ही यह कह सकते हैं कि कोई एनपीए नहीं होगा। कम से कम आपसे यह नहीं कह सकते हैं कि कोई एनपीए नहीं होगा, न ही यह कह सकते हैं कि एनपीए अवश्य होगा। इसलिए यह निर्णय आप पर निर्भर है । इसके लिए आपको ही कॉल करना होगा।

मनीष शुक्ला: इस प्रकार आपकी आंतरिक शर्तों के अंतर्गत पुनर्गठन के कितने समय के बाद यह एनपीएएल के रूप में परिवर्तित हो सकती है? इसलिए बैंक जटिल रूप से दो वर्ष की ऋणमोचन अवधि (मोरेटोरियम) देते हैं। इस प्रकार इस संबंध में आपकी आंतरिक शर्तें क्या कहती हैं, क्या इसका उल्लेख पुनर्गठन की शर्तों, जिनका आप अनुपालन करते हैं, में किया गया है?

आर नागराजन: हम एनपीए के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यहां तक कि यदि हमने पुनर्गठन किया है, फिर भी उन्हें ब्याज देना है। अन्य बात यह है कि उन्हें मूलधन का भुगतान समय पर करना होता है। माना कि वे दोनों काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए 180 दिन के बाद यह स्वत: ही एनपीए बन जाएगी।

मनीष शुक्ला: पुनर्गठन के पश्चात 180 दिन?

प्रबंधन: माना कि हमने पुनर्गठन कर दिया है और उसे अप्रैल से सेवाएं दी जानी हैं तथा माना कि वे अक्टूबर के बाद सेवाएं नहीं देते हैं, इसलिए यह स्वत: ही एनपीए बन जाएगी। हम कहेंगे कि आईडीसी बुक की जा सकती है, जी हां। इसलिए आईडीसी ने भी पर्याप्त मात्रा में स्वीकृत किया गया लंबित संवितरण निहित होता है, इसके पश्चात ही वे समायोजन कर सकते हैं।

एम.के. गोयल: एनपीए के लिए अलग-अलग स्वेच्छाचारी शर्तें लागू होती हैं।

मनीष शुक्ला: और 1 अप्रैल की शुरूआत में भी आपने अपनी राज्य की खाताबही में कोई पुनर्गठन रिपोर्ट नहीं किया है?

आर नागराजन: जी नहीं, इसलिए हमने आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराया है। 01 अप्रैल 2015 से स्वीकृत, प्रलेखित, संवितरित और पुनर्गठित सभी ऋणों को रिपोर्ट किया जाएगा, चाहे वे राज्य क्षेत्र के रूप में या निजी क्षेत्र के रूप में क्यों न रिपोर्ट किए जाएं।

आर नागराजन: आरबीआई की शर्तों के अनुसार।

मनीष शुक्ला: ठीक है और आरबीआई की शर्तों के अनुसार क्या आपने अब तक अपने राज्य क्षेत्र के एक्सपोजर में कोई पुनर्गठन किया है?

आर नागराजन: चूंकि हम 31 मार्च 2015 तक आरबीआई की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अपनी स्वयं की शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि राज्य के मामले में इसे एक पुनर्गठित बही के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका मूल्यांकन पीएफसी की स्वेच्छाचारी शर्तों के अनुसार किया गया था, इसलिए इसे पुनर्गठित बही के रूप में नहीं माना जाता है और हमसे इस संबंध में पिछली बार भी नहीं पूछा गया था।

मनीष शुक्ला: और अंतिम प्रश्न महोदय, एनबीएफसी को 90 दिन की एनपीए शर्त का पालन करना अनिवार्य है, क्या आपको इससे छूट मिली हुई है?

आर नागराजन: देखिए, हमने इस मुद्दे को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है, क्योंकि जब उन्होंने सभी स्वेच्छाचारी शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है, तब उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2016 से आप सभी को आरबीआई की स्वेच्छाचारी शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसलिए हमें भी कहा गया है कि हम भी उस

संख्या का अनुपालन करेंगे। हमने जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक को एक पत्र भेजा है। इसलिए हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमें उसका अनुकूल उत्तर मिलेगा।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न मल्टी एक्ट के **जिनाल सेठ** की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

जिनाल सेठ: क्या आप हमारे साथ पुनर्गठित और पुनर्अनुसूचित राशि के आंकड़े साझा कर सकते हैं ?

आर नागराजन: मेरा मानना है कि 17,551 करोड़ रूपए ।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न एक अनुवर्ती प्रश्न है, जो सुनिधी सिक्योरिटीज के बजरंग बाफना की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

बजरंग बाफना: इस ओएफएस की क्या स्थिति है ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

आर नागराजन: हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

बजरंग बाफना: अंतत: विद्युत क्षेत्र के विकास के संदर्भ में व्यापक मार्गदर्शन की स्थिति क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर निजी क्षेत्र की कंपनियां अपनी पुरानी परियोजनाओं में ही उलझी हुई हैं और कम-से-कम निजी क्षेत्र की कंपनियों से हमें निवेश की कोई पुनर्प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है, यद्यपि कुछ राज्य विद्युत बोर्डों जैसे तेलंगाना से बेहतर संकेत मिले हैं और वे पावर प्लांटों की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए हमारी वृद्धि के लिए आपने अगले दो वर्षों, 2-3 वर्षों के लिए क्या व्यापक मार्गदर्शन तैयार किया है ?

आर नागराजन: हमें लगभग 1,70,000 करोड़ रूपए की बकाया बही प्राप्त हुई है। इससे हमारा व्यापार तीन वर्ष तक बेहतर ढंग से चलता रहेगा, मेरा मानना है कि अगले वर्ष से आगे हम 50,000 करोड़ रूपए का संवितरण करेंगे। इस प्रकार यह तीन वर्ष तक

जारी रहेगा। अगली बात जिस पर आप चर्चा कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की वृद्धि के बारे में है। जैसा सीएमडी ने आपको स्पष्ट किया है । तीन क्षेत्रों : नवीकरणीय- 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा क्षेत्र में, 60,000 मेगावाट- पवन ऊर्जा क्षेत्र में और यहां तक कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें लगभग 1 लाख मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि का अनुमान है।

प्रबंधन: वितरण क्षेत्र में लगभग 75,000 करोड़ रूपए का निवेश।

आर नागराजन: ये सभी बातें इस क्षेत्र में पीएफसी की वृद्धि के लिए निश्चित ही सहायक होंगी।

बजरंग बाफना: इस प्रकार अगले 2-3वर्षों के लिए क्या हम 15% से 20% की वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं ?

आर नागराजन: जब तक कि आप इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मार्च तक भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम संवितरण के लिए इस संख्या को उजागर करेंगे। इसलिए वर्ष 2015-16 के लिए संवितरण के संबंध में आपको भी प्रश्न पूछना होगा।

बजरंग बाफना: और महोदय, हमारी ओर से एक और अनुरोध है कि आप पिछले 2-3 वर्षों पर नजर डालें। जब प्रत्येक विश्लेषक यह पूछ रहा था कि आपको पुनर्गठन बही का प्रकटन करना चाहिए, उस समय हम इसका अनुपालन नहीं कर रहे थे और हम इसका प्रकटन भी नहीं करते थे। अब हम आपसे आरबीआई की शर्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने अपनी स्वयं की शर्तों का अनुपालन शुरू कर दिया है और यह संख्या काफी बढ़ गई है, उदाहरण के तौर पर 17,000 करोड़ रूपए तक, जो संभवत: विश्लेषक समुदाय के लिए आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। और प्रत्येक विश्लेषक इस नंबर को घटाना चाहता है। कोई इसमें 25% की छूट, कुछ लोग ये कहेंगे कि 50% एनपीए में बदल जाएगा और फिर परिणामी समायोजित बही मूल्य काफी अलग होगा और अलग-अलग

विश्लेषक इसका अलग मूल्यांकन करेंगे।इसलिए हम केवल इतना अनुरोध करते हैं कि क्या आप बैंकों के साथ समान स्तर पर आ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में हमें भी आरबीआई की शर्तों का अनुपालन करना होगा। ऐसी स्थिति में यह एक स्वेच्छाचारी कदम होगा कि हम इसे समान स्तर पर रखें और एक जैसी शर्तों का अनुपालन करें, जो हमें उस परिप्रेक्ष्य से आपको बेहतर एवं कई गुणा मूल्यवर्धन करने में मदद करेगा, क्योंकि इस तरह का प्रावधान अंतत: हमारी कंपनी के लिए निम्नतर आरओई के रूप में सिद्ध होगा। इसलिए हमारा यह एक अनुरोध है कि आप इस पर विचार कर सकते हैं।

आर नागराजन: देखिए विश्लेषकों के सभी अनुरोधों को निवेशकों की ओर से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाता है और प्रावधान करते समय भी हम उनका ध्यान रखते हैं। यदि आप पिछले तीन वर्षों पर नजर डालेंगे, तो पायेंगे कि हमने मानक परिसंपत्तियों में पहले कभी कोई कमी नहीं की है। हमने आरबीआई को अवगत कराया है कि हम 2015 तक मानक परिसंपत्ति प्रावधान करते रहेंगे, परंतु हमने 31 मार्च 2014 तक ही इसका प्रावधान किया है। हमने दूसरा पुनर्गठन नहीं किया है, अब हमने इसके लिए प्रावधान किया है। इसी समूह की कुछ प्रमुख कंपनियां इस स्तर पर कोई प्रावधान नहीं कर रही हैं। हमने 2.75% के 75% का प्रावधान किया है और तीसरी बात जो आपको जानना चाहिए यह है कि आप बैंकों की तुलना में जो भी बात कह रहे हैं, आरबीआई पीएफसी के कारोबार की प्रकृति से वाकिफ हैं, उन्होंने इस मुद्दे का समझा है और निदेश दिया है कि पीएफसी को पुनर्गठन अथवा किसी भी प्रावधान के लिए आरबीआई की शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। इसलिए आरबीआई ने हमें 31 मार्च 2016 तक पूर्ण स्वेच्छाचारी शर्तों का धीरे-धीरे अनुपालन सुनिश्चित करने की अनुमति दी है, जिसके बारे में हमने अपनी सभी कांफ्रेंस कॉल में लेखाओं पर टिप्पणियों में सभी लोगों को स्पष्ट रूप से प्रकटन किया है। इसलिए हम धीरे-धीरे 31 मार्च 2016 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से हम सभी चीजों के लिए प्रावधान करेंगे और सभी चीजें आरबीआई की स्वेच्छाचारी शर्तों के अनुरूप की जाएंगी।

इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं होंगे, जहां उन्हें छूट दी गई है, जैसे कि पुनर्गठित बही, क्योंकि इस संबंध में आरबीआई ने कहा है कि हमें मार्च 2018 से इसके लिए 5% का प्रावधान करना होगा।

मॉडरेटर: अगला प्रश्न जेफरीज के नीलान जैन की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

नीलान जैन: एक बार पुन: इस पुनर्गठन से हमें अवगत कराएं। इस प्रकार आपकी शर्तों के अनुसार अभी पुनगर्ठित बही में 17,551 करोड़ रूपए की राशि है। आरबीआई की शर्तों के अनुसार यह लगभग 2700 करोड़ रूपए है, क्या मैं ठीक हूं। इसलिए ऐसा मानते हुए कि किसी भी पुनगर्ठित खाते में आगे कोई संवितरण नहीं किया जाएगा अथवा और पुनर्गठन नहीं होगा, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार क्या आप 17,551 करोड़ रूपए अथवा 2700 करोड़ रूपए रिपोर्ट करने वाले हैं?

आर नागराजन: हम अभी भी 17,551 करोड़ रूपए ही दर्शाते रहेंगे। हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने यहां तक कि सितंबर से दिसंबर तिमाही के लिए भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए हम दिसंबर-मार्च तिमाही के लिए इसमें कोई परिवर्तन क्यों करेंगे?

नीलान जैन: क्योंकि आपने यह कहा है कि आप आरबीआई की शर्तों का अनुपालन करेंगे, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया है ।

आर नागराजन: मेरा मानना है कि आपने मेरे शब्द नहीं सुने। मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि 01/04/2015 से सभी ऋण, स्वीकृतियां, क्रियान्वयन, संवितरण, पुनर्गठन आदि। इसका आशय यह है कि कोई भी ऋण जो 01/04/2015 के बाद स्वीकृत किया जाएगा, चाहे निजी क्षेत्र के रूप में अथवा राज्य क्षेत्र के रूप में, तब हम इसका प्रलेखन करेंगे और फिर संवितरण करेंगे, फिर आवश्यक होने पर इसका पुनर्गठन करेंगे, जो संभवत: 2019 में होगा।

नीलान जैन: और महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि एक्सपोजर के संबंध में आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि एक्सपोजर के संबंध में भी ऐसी कुछ शर्तें हैं, जिनका अनुपालन आरईसी और पीईसी दोनों के लिए करना अनिवार्य है।

आर नागराजन: देखिए ये एक्सपोजर से जुड़ी शर्तें हैं। आरबीआई ने हमें राज्य क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र के लिए 31 मार्च 2016 तक इससे छूट प्रदान की है, इस संबंध में हम तब तक अपनी शर्तों का अनुपालन कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के मामले में हम पहले दिन से ही इन शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं।

नीलान जैन: क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी एक राज्य को दिया गया सबसे अधिक एक्सपोजर क्या है?

आर नागराजन: मेरा मानना है कि राजस्थान के लिए हमने सर्वाधिक एक्सपोजर दिया है ।

नीलान जैन: और क्या वह 50% से अधिक होगा ?

आर नागराजन: कुल एक्सपोजर के लगभग 80-85%।

मॉडरेटर: देवियों और सज्जनों, यह अंतिम प्रश्न था। अब मैं सम्मेलन का संचालन श्री कुणाल शाह को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद, श्री कुणाल, कृपया आगे की कार्रवाई संचालित करें।

कुणाल शाह: **धन्यवाद ।** महोदय, आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद और इस कांफ्रेंस कॉल में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद और महोदय, भावी तिमाहियों के लिए शुभकामनाएं। एक बार पुन: धन्यवाद।

मॉडरेटर: **धन्यवाद** महोदय । प्रबंधन के सदस्यों का धन्यवाद। एडेलविज सिक्योरिटीज लिमिटेड की ओर से मैं इस कांफ्रेंस कॉल का समापन करता हूं । हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अब आप अपनी लाइने डिसकनेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुन: आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद।

नोट: इस दस्तावेज को पठनीयता में सुधार और महत्व की दृष्टि से संशोधित किया गया है।